मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक स्था/प्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक

-: संतान पालन अवकाश स्वीकृति हेतु मार्गदर्शिका :-

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/2015/ नियम/चार दिनांक 22/08/2015, परिपत्र क्रमांक एफ-6-1/2015/नियम/चार दिनांक 30/09/2015 एवं दिनांक 17 नवम्बर 2015 द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम1977 के नियम-38(सी) में प्रदेश की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश नियम (Child care leave) जोड़े जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। (अधिसूचना वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम अनुसार म.प्रशासन द्वारा लागू अवकाश नियम बोर्ड में यथास्थिति लागू हैं । अतः म.प्र.शासन द्वारा जोड़े गये संतान पालन अवकाश की बोर्ड में स्वीकृति हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शिका का पालन किया जाये :-

1. संतान पालन अवकाश का लाभ लिए जाने हेतु ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा अर्जित अवकाश की भांति 03 सप्ताह (21 दिन) पूर्व होगी।
2. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा।
3. संतान पालक अवकाश का लाभ वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर पात्रतानुसार महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत किया जावेगा।
4. मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत पात्र महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों को संतान पालक अवकाश का लाभ एक साथ स्वीकृत नहीं किया जावेगा। अवकाश हेतु अनुशंसा/स्वीकृति देते वक्त कार्यालय प्रभारी/शाखा प्रभारी इस तथ्य का आँकलन करेंगे की उक्त अवकाश अवधि में कार्यालयीन कार्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
5. जिन महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की उम्र कम होगी उन्हे अवकाश देते वक्त वरीयता दी जावेगी।
6. इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
7. अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए) या सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 01 जून 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली

बाईस वर्ष से कम आयु की संतान को ही संतान पालक अवकाश का लाभ प्राप्त होगा।

8. यह एक केलैंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपभोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी केलैंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती केलैंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। केलैंडर वर्ष से अभिप्रेत है 1 जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि ।
यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।

9. संतान देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

10. इस अवकाश का खाता पृथक से संधारित किया जाएगा तथा संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

11 अवकाश स्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष/सदस्य सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(श्रीमती निशा मिश्रा)
प्रशासकीय अधिकारी

पृ.क्र. 59 स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक 13-01-16

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. वित्त अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. ऑर्डर बुक/गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड ।

(श्रीमती निशा मिश्रा)
प्रशासकीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल